राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3134/2023

रफीकउद्‌दीन (कर्मचारी आईडी–आरजेकेओ198927002403)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोटा रेंज, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.01.2023

आदेश की दिनांक : 17.11.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र सिंह डागुर, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2018 को चुनौती दी है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 24.08.2018 के द्वारा अपीलार्थी का मुख्यालय संचित पुलिस लाईन जिला कोटा शहर से संचित पुलिस लाईन जिला बांरा किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का मुख्यालय उसके निलम्बन के पश्चात बदला गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.11.2021 के द्वारा बहाल किया गया और बहाली के पश्चात उसके मुख्यालय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी ने इस अपील में उसके मुख्यालय परिवर्तन के आदेश दिनांक 24.08.2018 को चुनौती दी है, जो अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष आलोच्य आदेश पारित होने से पांच साल बाद चुनौती दी है। अपीलार्थी ने पूर्व में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत

किया हो, यह भी प्रकट नहीं होता है। अतः हम इस अपील में इतने अधिक समय पश्चात आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं।

4. अतः यह अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)